



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 अग्रहायण 1938 (श10)
(सं0 पटना 1046) पटना, शुक्रवार, 9 दिसम्बर 2016

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

30 नवम्बर 2016

सं० वि०सं०वि०-31/2016-6035/वि०सं०—“आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016”, जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राम श्रेष्ठ राय,

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016

[वि०स०वि०-25/2016]

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 24, 2008 का संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावना:— आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए अनुभवी व्यक्तियों का लाभ लेने तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक मजबूत एवं कारगर बनाने के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-10 की उप धारा (5) में संशोधन।**— बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा-10 की उप धारा (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-

“(5) कुलपति अपने पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के कार्यकाल के लिए अथवा 75 (पचहत्तर) वर्षों की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर कार्यरत रहेंगे”।

उद्देश्य एवं हेतु

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए अनुभवी व्यक्तियों का लाभ लेने तथा विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक मजबूत एवं कारगर बनाने के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है। इस निमित्त बिहार अधिनियम 24, 2008 की धारा - 10 की उप धारा (5) में कतिपय संशोधन एवं कतिपय उपबंधों का जोड़ा जाना इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

अशोक चौधरी,
भार-साधक सदस्य।

पटना
दिनांक-30.11.2016

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1046-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>